22. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में गाँधी का आगमन

गाँधी का जीवन परिचय-

जन्म - 2 अक्टूबर 1869

स्थान - पोरबंदर (गुजरात) पुराना नाम सुदामापुरी

बचपन का नाम - मोनियो

पूरा नाम - मोहन दास करमचन्द्र गांधी

माँ का नाम - पुतली बाई

पिता का नाम - करमचन्द्र गांधी

पत्नी - कस्तूरबा गांधी

पुत्र - हरीलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास

गाँधी का पांचवा मानसपुत्र - जमना लाल बजाज

गाँधी का प्रमुख पुस्तकें :

1. लेखन के रूप में गाँधी की पहली पुस्तक ''The London Guide'' थी।
2. Indian Franchiese - इस पुस्तक में गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा का विवरण दिया है।
3. A Guide to Health - सात्विक आहार सम्बन्धी पुस्तक
4. हिन्द स्वराज
5. Constructive Programme
6. बाल पोथी एवं नीति धर्म- बच्चों की नैतिक शिक्षा हेतु लिखी गई पुस्तक
7. My early Life अपने प्रारम्भिक जीवन के सन्दर्भ में
8. My Child Hood
9. Indian opinion
10. सर्वोदय-जीन रस्किन की पुस्तक ''अन टू दि लास्ट' का गुजराती अनुवाद'
11. Story of Satyagrahi
12. Songs from the prison (song of Indian: सरोजनी नायडू)

गाँधी के द्वारा संपादित प्रमुख पत्र :

1. Indian opinion (1893) दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित
2. नवजीवन
3. यंग इन्डिया
4. हरिजन
5. हरिजन बंधु

गाँधी की प्रमुख उपाधियाँ :

1. कर्मवीर- दक्षिण अफ्रीका में उनके सहयोगियों के द्वारा दी गई उपाधि।
2. कुली वैरिस्टर : दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के द्वारा गाँधी को दिया गया एक मजाकिया नाम।
3. भंगी शिरोमणि : दक्षिण अफ्रीका में गांधी के द्वारा किये गये सफाई के कार्यों के कारण उन्हें दिया गया एक उपनाम।
4. महात्मा : भारत में चम्पारण आन्दोलन के दौरान रवीन्द्रनाथ टैंगोर के द्वारा दी गई उपाधि।
5. भर्ती करने वाला सार्जेन्ट : प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए भारतीय युवकों को प्रेरित करने के कारण अंग्रेजों ने गांधी को यह उपाधि दी।
6. कैसर-ए-हिन्द- प्रथम युद्ध के दौरान गांधी को कैसर-ए-हिन्द की उपाधि मिले जिसे असहयोग आन्दोलन के समय वापस कर दी।
7. अदानंगा फकीर-द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के दौरान फ्रेंक मोरेस तथा विन्सटन चार्चित के द्वारा की गई टिप्पणी।
8. देशद्रोही फकीर: विन्सटन चर्चिल के द्वारा दिया गया नाम
9. मलंग बाबा : पश्चिमी सीमा प्रांत के कबीलाई, लोगों के द्वारा गांधी को दिया उपनाम।
10. बापू : जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिया गया प्यार का नाम।
11. राष्ट्रपिता : सुभाष चन्द्रबोस के द्वारा दिया गया सम्बोधन
12. **One Man Boundary Force:** माउन्ट वेटन द्वारा गांधी को दिया गया नाम।

गांधी ने 1891 मे लदन से वैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत के लिए बम्बई आ गये लेकिन इनकी वकालत चल नहीं पायी। इसी संदर्भ में एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल ने इन्हें अपनी फर्म की कानूनी कार्यवाही को संपादित करने के लिए नियुक्त किया और 1893 वे दादा अब्दुला के एक मुकदमें की पैरवी के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गये वहाँ वे सर्वप्रथम नटाल बन्दरगाह पर उतरे और वही के सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान वहा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा किये जा रहे भारतीयों एवं अफ्रीकियों के शोषण को नजदीक से देखा और उसके विरूद्ध आवाज उठाई।

डरबन से प्रिटोरिया जाते समय प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें मेरित्सवर्ग नामक स्टेशन पर अंग्रेजों ने धक्के मारकर उतार दिया। इस घटना ने गांधी के मन को झकझोर दिया। अत: उन्होंने भारतीय समुदाओं को संगठित करने और उनकी मांगों को जोरदार ढंग से उठाने हेतु 1894 में नटाल इडिण्यन कांग्रेस की स्थापना की।

30 मई 1902 को गांधी ने अपने सहयोगी जर्मन शिलाकार कॉलेज बाख की मदद से टॉलस्टॉप फार्म की स्थापना की और यही रहने लगे।

तदुनपरान्त 1904 में डरबन के निटक "फिनिक्स आश्रम" बनाया हिन्द स्वराज नामक लेख में गांधी ने अफ्रीका में अंग्रेजों के द्वारा किये जा रहे शोषण की और ध्यान दिलाया वस्तुत: गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए एक देवदूत के समान ही थे क्योंकि एक मात्र वे ही ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों से उनकी भाषा में बात कर सकते थे। गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत (बम्बई) लौंटे वर्तमान में इसी तारीख को भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाती हैं। वापिस आकर गांधी ने स्वयं के रहने के लिए अहमदाबाद के कोचरव नामक स्थान पर श्री जीवन लाल वैरिस्टर का मकान किराये पर लिया और यही पर 25 मई 1915 को "हृदय कुंज" आश्रम (सत्याग्रह आश्रम) की स्थापना की जो कालान्तर में साबरमती नदी के तट पर स्थानान्तरित कर दिया गया और उसका नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया।

- भारत आने के बाद गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरू माना क्योंकि गोखले ने ही उन्हें भारतीय जनमानस से परिचित होने के लिए उन्हें एक वर्ष तक भारत का दौरा करने की सलाह दी।
- गांधी का प्रिय भजन- "वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने तो" नरसी मेहता का भजन है।

30 जनवरी 1948 विड़ला हाउस, शाम को 5:15 पर नाथूराम गोड़से ने इटली से निर्मित 9a.m. की स्वचालित बोरेट्टा गान से गांधी की हत्या कर दी।

- महात्मा गांधी की हत्या में कुल आठ अभियुक्त शामिल है जिनमें प्रमुख हैं- नाथूराम गोड़से, नाना आप्टे, विष्णु करके, दिगम्बर बड़गे, शंकर विश्वैरया, मदन लाल पाहवा आदि।
- इन अभियुक्तों पर लाल किला दिल्ली में मुकदमा चलाया गया इस मामले की सुनवाई न्यायधीश आत्माचरण की विशेष अदालत में की गयी गोड़से एवं आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गयी। 5 नवम्बर 1949 को इन दोनों को अम्बाला जेल में फांसी दे दी गयी यह आजादी के बाद की पहली फांसी है।
- गांधी की मृत्यु पर तत्कालीन अमेरिकी राजदूत चेरन्टर वोटस ने लिखा "संसार के इतिहास में किसी भी महान व्यक्ति की शव याात्रा में आज तक इतने व्यक्ति शोकाकुल होकर नहीं गये जितने की गांधी के साथ"
- महान वैज्ञानिक अल्वर्ट आइस्टीन ने लिखा - "आने वाली पीड़िया शायद ही विश्वास करे कि पृथ्वी पर गांधी नामक हाड़-मांस के पुतले में कभी जन्म भी लिया था"

गांधी का "सत्याग्रह" जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति अटल रहना। इसका उद्देश्य धैर्यपूर्वक कष्ट सहकर, अहिंसात्मक एवं उचित तरीके से सत्य को प्रकट करना भूलों को सुधारना एवं भूल करने वालों का हृदय परिवर्तित कर देना है सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी ने कहां.... यह आत्मा का सार तत्व हैं। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा हैनरी डेविड थीरो के निबन्ध "Civil Diso bedience" से मिली जिसका प्रथम प्रयोग गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में 1906 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के पक्ष में किया था।

कालान्तर में यह निष्क्रिम प्रतिरोध ही "सत्याग्रह" में बदल गया। वस्तुत: गांधी जी ने अपने अखबार Indian opinion के पाठकों के लिए, "निष्क्रिम प्रतिरोध" के लिए एक स्वतंत्र शब्द के सजृन के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था इसी प्रतियोगिता में एक पाठक मगनलाल गांधी ने सत- आग्रह की संधि करके "सदाग्रह" शब्द गांधी को भेजा जिसे बाद में गांधी ने परिवर्तित करके "सत्याग्रह कर दिया।"

गांधी के द्वारा चलाये गये प्रमुख आन्दोलन

चम्पारण आन्दोलन 1917 :

यह गांधी का पहला आन्दोलन था वस्तुत: बंगाल बिहार में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग में अर्थात 15 प्रतिशत हिस्से में अनिवार्य किसानों को जमीन की उर्वरता प्राय नष्ट हो रही थी अत: राजकुमार शुक्ल के आंमत्रण पर गांधी ने चम्पारण के कृषकों का नेतृत्व संभाला और अंतिम रूप से कृषकों को उनकी भू-स्वामित्व के कागजात अंग्रेजों से वापिस दिलाये साथ ही अंग्रेजों से 25 प्रतिशत क्षतिपूर्ती भी दिलवाई तथा तिनकठिया पद्धति से हमेशा के लिए छुटकारा भी दिलवाया। इस आन्दोलन के दौरान रवीन्द्र नाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधी दी इस आन्दोलन में गांधी के सहायक नेताओं में डॉ राजेन्द्र प्रसाद नरहरि पारिख, महादेव देसाई, जे.वी. कृपलानी एवं मजहीरूलहक आदि थे।

एन.जी. रंगा ने गांधी के चम्पारण आन्दोलन का विरोध किया।

अहमदाबाद की श्रमिक हड़ताल 15 मार्च 1918

यह गांधी का दूसरा आन्दोलन था जिसमें मुख्य विवाद मिल मालिकों एवं श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर था। गांधी ने श्रमिकों के पक्ष में आमरण अनशन की शुरूआत की अर्थात् इस संदर्भ में यह गांधी का पहला आन्दोलन था। जिसमें गांधी ने सत्याग्रह के एक अस्त्र के रूप में सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया गांधी का यह आन्दोलन भी सफल रहा और मिल मालिकों को 35 प्रतिशत वोनस श्रमिकों को देना पड़ा।

खेड़ा (गुजरात) का कृषक आन्दोलन 1918

गांधी का यह तीसरा आन्दोलन बम्बई सरकार के विरूद्ध था। किसानों की फसल चौपट हो जाने पर सरकार ने लगान माफ नहीं की थी। गांधी के नेतृत्व में अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा इस आन्दोलन के दौरान विटठलभाई पटेल गांधी के अनुयायी बने।

- संदेह की स्थिति में कही-कही बल्लभभाई पटेल का नाम भी लिया जाता है।

रौलेट सत्याग्रह, 1919

यह गांधी का चौथा आन्दोलन था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे काल में क्रांतिकारियों का दमन जारी रहा था। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए यह कानून बनाया जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह आधार पर बिना मुकदमा चलाये अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। गांधी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी जबकि नेहरू ने कहा कोई वकील नहीं कोई कोई अपील नहीं। (क्योंकि रौलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को न तो कोई अपील करने का अधिकार था और न ही कोई दलील देने का अधिकार था।)

- रोलेट एक्ट के विरोध में मुहम्मद अली जिन्ना ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि जो सरकार शांत काल में यह स्वीकार करती हैं। वह स्वयं को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है।
- भारतीयों के विरोध के बावजूद भी रोलेक्ट एक्ट पारित हो गया जिसके विरोध में गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा बनायी और कानून का पालन न करने शांति पूर्वक गिरफ्तारियां देने के लिए कहा इसी क्रम में गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और देश व्यापी सत्याग्रह एवं हड़ताल का आहवान किया। ब्रिटिश सरकार ने व्यापाक क्रम में गिरफ्तारियों को इसी क्रम में डा. सैफुद्दीन किचलू एवं डा. सतपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलिया बाग, अमृतसर (पंजाब) में 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया था। ठीक उसी समय ब्रिटिश कमाण्डर-बिग्रेडियर जनरल- रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर (12 - डायर) ने वहाँ पहुँचकर बिना चेतावनी दिये निहत्थी जनता पर अधाधुंध गोलियाँ चलायी जिसमें हजारो लोग मारे गये। जनरल डायर अपनी स्वाभाविक मौत 1927 में मरा।
- ठीक इसी समय जलियाँ वाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर -माइकल ओ डायर था जिसने इस हत्यांकाड की स्वीकृत दी थी। करीब 21 वर्षों बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी और इस जघन्य हत्याकांड के समय सरदार उद्यम सिंह की उम्र 16 वर्ष थी।
- इस जघन्य हत्याकांड से दुखी होकर गांधी ने 18 अप्रैल 1919 को अपना यह सत्याग्रह आंदोलन वापिस ले लिया इसी समय एनी बेसेन्ट ने गांधी को राजनीति में बच्चा कहा। इस प्रचार गांधी का यह अहिंसक आन्दोलन असफल रहा।

हण्टर कमेटी, 1919

जलिया वाला बाग हत्याकांड़ की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हण्टर कमेटी का गठन किया जिसके सदस्य थें-

1. लार्ड हण्टर (अध्यक्ष)
2. सर जार्ज बैरो
3. सर थामस स्मिथ
4. रस्किन
5. मिस्टर राइस

भारतीयों सदस्यों में- चमनलाल सीतलवाड़, साहब जादा सुल्तान, जगत नारायण।

हण्टर कमेटी की रिपोर्ट में R डायर को निर्दोष बताते हुए उसे ब्रिटिश साम्राज्य के शेर की उपाधि दी गयी। कर्नल जानसन ने कहा यदि दोबारा मौका मिले तो में भी ऐसा करूंगा।

तहकीकात कमेटी (1919)

कांग्रेस ने हण्टर कमेटी की रिर्पोट को लीपापोती कहा और जलिया वाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक तहकीकात कमेटी नियुक्त की जिसके सदस्यों में-

1 मदन मोहन मालवीय (अध्यक्ष)
2. महात्मा गांधी
3. मोतीलाल नेहरू
4. चितंरजन दास
5. अब्बास तैयद
6. पुपुल जयकर

तहकीकात कमेटी की रिर्पोट में ब्रिटिश सरकार को दोषी मानते हुए उस प्रकरण से संबंधित दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा देने की बात कहीं गयी जिसे ब्रिटिश सरकार ने अनसुना कर दिया। अब गांधी ने असहयोग चलाने का निर्णय लिया।

INC सितम्बर 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन अध्यक्ष लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरूद्ध सीधी कार्यवाही करने का विधान परिषदों का वहिष्कार करने असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात तय की।

असहयोग आंदोलन (सितम्बर 1920-1922)

- असहयोग आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार सरकारी नौकरियों से इस्तीफा कर ना चुकाना तथा अस्पृश्यता का अंत आदि बाते शामिल थी।
- मद्यनिषेध कार्यक्रम इस आंदोलन का हिस्सा नहीं था तथा यह अभियान भी असफल रहा।
- दिसम्बर 1920 INC नागपुर अधिवेशन, अध्यक्ष-वी राधवाचारी इस अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन की पुन: पुष्टि की गयी तथा इसी अधिवेशन में गांधी ने एक वर्ष में स्वराज्य का नारा दिया।
- 5 फरवरी 1922 गोरखपुर चौरी-चौरा काण्ड गांधी अत्यंत क्षुब्ध हुए और 12 फरवरी, 1922 गुजरात बारदोली में क्रांग्रेस वर्किंग कमेटी की आपातकालीन बैठक में गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। इस घोषणा को बारदोली घोषणा के नाम से भी जाना जाता हैं।

  प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुभाष चन्द्र बोस ने अपनी आत्मकथा The Indian Struggal में लिखा "जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था.... मैंने देखा गांधी जिस तरह बार-बार गोल-मोल कर रहे थे इस पर उनके सहयोगी भी दुख एवं क्रोध में अपने से बाहर हो रहे थे।
- यह वही समय था जब कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जो निम्न है।

  (i) जिन्ना

  (ii) एनी वेसेन्ट

  (iii) G.S. खर्पेड़

  (iv) विपिन चन्द्रपाल आदि।

साइमन कमीशन (3 फरवरी, 1928)

1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए 8 नवम्बर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने Indian Statu Tory Commision का गठन किया जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता हैं। सात सदस्यी इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नही था और इसके पीछे यह धारणा कार्य कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अथवा अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे और यह भारतीयों के विरोध का मुख्य कारण था। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत पहुँचा उसके सात सदस्यों में।

(i) जान साइमन (अध्यक्ष) (लिवरल पार्टी)

(ii) मिस्टर बायम (Conservative party)

(iii) स्टैथ कोना

(iv) लेन काक्स

(v) कैडगेन

(vi) एटली (Labour party)

(vii) वर्नोन हार्ट शोन (Labour party)

- यहाँ तक कि जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया परन्तु मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक गुट ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। समर्थन करने वाले एक प्रमुख नेता भीमराव अम्बेडकर थे।
- लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एक शांतिपूर्ण जूलुस निकाला था जिसका नारा था। "साइमन कमीशन वापिस जाओं" पुलिस अधिकारी साण्डर्स के आदेश पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। इस प्रहार में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गयी तथा पंडित गोविन्द वल्लभपन्त का एक पैर टूट गया जो आजीवन अंपग हो गये।
- लखनऊ में खलीक उज्जमा ने बड़े-बड़े गुब्बारों पर साइमन कमीशन वापस जाओ लिखकर अपना विरोध उतारा।

नेहरू रिर्पोट (अगस्त 1928)

साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय का शामिल न होने कारण जब कांग्रेस ने विरोध किया तो इस पार भारत सचिव लार्ड वर्केन हेड़ ने भारतीयों को चुनौती दी कि वे संवैधानिक सुधारों की एक ऐसी योजना प्रस्तुत करे जो सभी दलों को स्वीकार हो।

अब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जबाव देने का प्रयास किया गया। नेहरू रिपोर्ट की कमेटी के नौ सदस्य में-

(i) मोती लाल नेहरू

(ii) तेजबहादुर सप्रु

(iii) एन. एम. जोशी

(iv) सुभाष चन्द्र बोस

(v) एम. एस. अणे

(vi) एम. आर जयकर

(vii) अली इमाम

(viii) शोएव कुरैशी

(ix) मंगल सिंह सन्धु

चूंकि नेहरू रिर्पोट में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मण्डल की मांग को पूर्णत: अस्वीकार कर दिया गया अत: जिन्ना ने नेहरू रिर्पोट को खारिज कर दिया और इसके प्रत्युत्तर में 14 सूत्रीय मांगे पेश की। इसके पश्चात् क्रमश: उत्तरोत्तर साम्प्रदायिकता का विकास हुआ। जवाहर लाल नेहरू रिर्पोट में पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई बात नहीं थी अत: जवाहर लाल नेहरू के साथ-साथ स्वयं सुभाष चन्द्र बोस भी नेहरू रिर्पोट से अंसतुष्ट थे।

लाहौर अधिवेशन (1929)

INC लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जवाहल लाल नेहरू में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया तथा 31 दिसम्बर 1929 की मध्य रात्रि को भारतीय स्वंतत्रता का ध्वज फहराया गया तथा उसी अधिवेशन में 26 जनवरी को "पूर्ण स्वतंत्रता दिवस" के रूप में स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गयी तद्नुसार 26 जनवरी 1930 को हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस प्रकार इस तारीख को यादगार बनाये रखने के लिए ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-31-1932-34)

30 जनवरी 1930 गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इण्डिया के माध्यम से वायसराय लार्ड इर्विन को अपनी 11 सूत्रीय मांगे पेश की जिसमें मुख्य मांग नमक कर हटाने की थी। परन्तु वायसराय इर्विन ने ध्यान नहीं दिया अत: गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा की। सविनय अवज्ञा का अर्थ अहिंसात्मक पूर्वक विनय पूर्वक सरकारी कानूनों की अवज्ञा करना अर्थात् उल्लघन करना, चूंकि इस आंदोलन की मुख्य मांग नमक कर हटाने की थी अत: सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक आंदोलन भी कहते हैं।

दाण्डी मार्च (12 मार्च-6 अप्रैल 1930)

सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 के गांधी के साबरमती के आश्रम से आंरभ हुआ जिसमे गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी शामिल थे। यह पैदल यात्रा 6 अप्रैल 1930 को नौसारी जिले के दाण्डी तट पर समाप्त हुई। यह 385 किमी. की पैदल यात्रा गांधी ने 24 दिन में पूरी की और 25 वें दिन दाण्डी समुद्र तट पर पहुँचकर गांधी ने समुद्र का जल अथवा बालू को हाथ में उठाकर प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाने की घोषणा की और कहा कि "में ब्रिटिश शासन को अभिशाप मानता हूँ। ..... में इस ब्रिटिश शासन प्रणाली को नष्ट करने पर आभादा हूँ।.... अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है।"

इस प्रकार 6 अप्रैल 1930 को विधिवत रूप से पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरूआत हुई।

- गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की तारीख 6 अप्रैल इसलिए रखी थी क्योंकि देश में प्रति वर्ष 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच जलिया वाला बाग हत्याकाण्ड के विरोध में मारे गये शहीदों की शहादत एवं श्रद्धाजली के रूप में इस सप्ताह के विद्रोह सप्ताह के रूप में मनाय जाता था
- सविनय अवज्ञा आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर ब्रिटिश सरकान ने गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में बन्द कर दिया।
- बम्बई (महाराष्ट्र) में नमक आंदोलन का नेतृत्व गांधी के पुत्र मणिलाल ने तथा धरसाणा में सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया और नमक के सरकारी गोदाम पर अहिंसात्मक प्रदर्शन किया प्रतियोत्तर में ब्रिटिश सरकार का भयानक लाठी चार्ज और इस घटना का प्रत्यक्षीदर्शी पत्रकार वेब मिलर था जिसने इस घटना का विवरण दिया।
- उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। जिन्हें सीमान्त गांधी (Frontier Gandhi) बादशाह खान, फख-ए-अफगान जैसी उपाधियों से विभूषित किया जाता है। बादशाह खान पहली ही इस क्षेत्र में खुदाई-खिदमतगार (Servant of god) 1929 आंदोलन चला रहे थे। चूंकि इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन (Red shirts movement) भी कहा जाता है। वस्तुत: लाल रंग के कुर्ते सामान्यत: सफेद अथवा अन्य रंगों के कपड़ों की तुलना में कम गन्दे होते थे। इसलिए ये स्वयं सेवक लाल रंग के कपड़े पहनते थे। यहाँ के अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर 18वी रायल गढ़वाली रायफल्स रेजीमेंट के सिपोहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस रेजीमेंट का नेतृत्व चन्द्रसिंह गढ़वाली के पास था।

(i) कांग्रेस के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता तरूणराम ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया था।

(ii) खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1928 में भाषा की

एक समाचार पत्रिका पठतून निकाली जिसका नाम बदलकर 1931 में दासरोजा कर दिया।

(iii) अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया वे इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। खान ने 1947 के बटवारे के बाद पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली थी।

गोलमेज सम्मेलन

प्रथम गोलमेज सम्मेलन (12 नवम्बर 1930-19 जनवरी 1931)

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (17 सितम्बर 1931-1दिसम्बर 1931)

तृतीय गोलमेज सम्मेलन (17 नवम्बर 1932-24 दिसम्बर 1932)

प्रथम गोलमेज सम्मेलन

साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गये सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया।

स्थान- सेंट जेम्स पैलेस

अध्यक्षता - ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैग्जे मैकडोनॉल्ड

शामिल कुल प्रतिनिधियों की संख्या- 89

प्रमुख नेताओं में-

1. उदारवादी नेता- सी. वाई. चिन्तामणि, तेजबहादुर सप्रु, श्री निवास शास्त्री
2. मुस्लिम लीग: मुहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, फजल-उल-हक , मु. शफी, मु. अली आदि।
3. दलित वर्ग- बी. आर. अम्बेडकर
4. एग्लो इंडियन प्रतिनिधि- के. टी0 पॉल
5. देशी रियासतें- अलवर, बीकानेर, भोपाल, पटियाला, बड़ौदा, ग्वालियर, मैसूर आदि के कुल 16 प्रतिनिधि।

- कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का वहिष्कार किया।
- विपिन चन्द्रा (आधुनिक इतिहासकार) ने लिखा कांग्रेस को शामिल किये बिना भारतीयों मामलों पर आयोजित कोई सम्मेलन वैसी ही था जैसे श्री राम के बिना रामलीला का आयोजन।
- ब्रिटिश सरकार जानती थी कि यदि कांग्रेस की सहमति के बिना भारत में किसी भी प्रकार के संविधानात्मक फेर-बदल किये जाते है तो वे भारतीय जनता को स्वीकार्य नहीं होंगे अत: ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैग्जे मैक डोब्लॉक ने वायसराय इर्विन को आदेश दिया कि वे किसी तरह से गांधी को द्वितीय गोलमेज में शामिल होने के लिए राजी करे। अब वायसराय इर्विन ने 26 जनवरी 1930 को गांधी को बिना शर्त जेल से रिहा कर दिया। गांधी इस समय पूना की यरवदा जेल में थे।

गांधी-इर्विन समझौता/गांधी-इर्विन पैक्ट/ दिल्ली समझौता समय

- गांधी ने तात्कालिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और कांग्रेस दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गयी।
- ब्रिटिश सरकार ने समस्त अहिंसक राजनैतिक कैदियों को तत्काल रिहा कर दिया।
- साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने विदेशी वस्त्र विदेशी शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार को मान्यता दी।

वास्तव में जवाहर लाल नेहरू जैसे नेता एवं युवा वर्ग इन समझौते से असन्तुष्ट था क्योंकि एक साल के प्रयत्न के बाद भी अब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अब व्यवहारिक तौर पर छोड़ सा दिया गया था। तो दूसरी ओर गांधी ने भगत सिंह, राजगुरू एवं सुखदेव को फांसी को आजीवन कारावास की सजा में बदलवाने के विषय में कोई ठोस निर्णय नही लिया था

द्वितीय गोल मेज सम्मेलन (17 सितम्बर 1931-1 दिसम्बर 1931)

इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया गांधी एवं अन्य प्रतिनिधि एस.एस. राजपूताना जहाज से इंग्लैण्ड पहुँचे। अन्य शामिल प्रतिनिधियों में प्रमुख है।

ऐनी वेसेन्ट

सरोजनी नायडू

बी. आर. अम्बेडकर

मुहम्मद अली जिन्ना

आगा खाँ

घनश्याम दास बिड़ला

महादेव देसाई आदि।

इसी सम्मेलन के दौरान फैंक मॉरेस ने टिप्पणी की थी "ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए इस अधनंगे फकीर के द्वारा सेन्टजेम्स पैलेस की सीढ़िया चढ़ने का दृश्य देखना अपने आप मे एक विस्मयकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाला हैं गांधी की जोरदार वकालत के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियम स्टेप्स तत्काल देकर उसके आधार पर

- भारतीयों की स्वतंत्रता की बुनियादी मांग को मानने से इनकार कर दिया।

गांधी की कोशिशों के बावजूद भी द्वितीय गोलमेज सम्मेल असफल रहा ऐसा कहा गया कि गांधी रोटी लेने गये वे पत्थर लेकर लौटे गुजराती कवि मेद्यानी ने गांधी की असफलता पर

एक कविता लिखी "छेल्लो कटोरो जहरनो आ पी जाओ वापू"। अर्थात् वापू जहर का आखिरी घूंट भी पी जाओ।

28 दिसम्बर 1931 गांधी वापिस भारत लौटे और उन्होनें स्थगित सविनय अवज्ञा आंदोलन पुन: शुरू करने का विचार किया लेकिन अब यह आंदोलन प्रभावी नही रहा अन्तत: अप्रैल 1934 गांधी ने अधिकाधिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। गांधी के प्रखर आलोचक सुभाष चन्द्र बोस ने कहा कि गांधी एक राजनीतिक नेता के रूप में विफल हो चुके है।

मैक डोनॉल्ड का साम्प्रदायिक अधिनियम (कम्युनख इनवार्ड)

ब्रिटिश सरकार ने देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति पर अधिक संक्रियता से ध्यान देना शुरू किया इस नीति के तहत भारत का प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय अंग्रेजी सत्ता का समर्थन कर रहा था इस नीति का वास्तविक खुलासा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैके डोनाल्ड की साम्प्रदायिक घोषणा करने से हुआ। जिसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी। गांधी इस घोषणा से वहुत दुखी हुए।

गांधी की प्रतिकिया और आमरण अनशन (20 सितम्बर, 1932)

गांधी इस समय यरवदा जेल में थे गांधी ने ब्रिटिश सरकार (प्रधानमंत्री मैंक डोनाल्ड) को पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि सरकार दलितो अथवा अछूतो के लिए पृथक निर्वाचक मंडलो को समाप्त नहीं करेगी तो इसके विरोध में वे आमरण अनशन पर बैठ जायेगे परन्तु सरकार ने कोइ ध्यान नहीं दिया अत: गांधी 20 सितम्बर 1932 को आमरण पर बैठ गये और उनका स्वास्थ तेजी से गिरने लगा। अब शीर्षस्थ नेताओं ने अम्बेड़कर से वार्ता की।

पूना ऐक्ट (26 सितम्बर 1932)

मदन मोहन मालवीय, डा. राजेन्द्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी एवं पुरूषोत्तम दास टंडन के अथक प्रयासों से डा. अम्बेडकर अपनी कुछ शर्तों पर गांधी ने समझौते करने पर तैयार हो गये अन्तत: गांधी एंव अम्बेडकर के बीच 26 सितम्बर, 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता (पूना ऐक्ट) के नाम से जाना जाता है इस प्रकार है।

1. दलितो के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करके उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान आरक्षित किये जायेगे।
2. केन्द्रीय विधायिका में भी दलितों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षित किये जायेगे।
3. अछूतों को सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जायेगी।
4. अछूतो के समुचित सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षाणिक विकास के लिए प्रयास किये जायेगे।

गांधी के महत्वपूर्ण कथन :

- सिद्धांतों के कई टनों से व्यवहार का एक अंश भारी होता है।
- साध्य एवं साधन की पवित्रता पर विश्वास गांधी का राजनैतिक दर्शन अहिसा के माध्यम से सत्य की स्थापना करना है जिसे वे सत्याग्रह की संज्ञा देते है असहयोग एवं सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के ही महत्वपूर्ण अंग है।
- अहिसा कमजोरो का नहीं बल्कि सहासियों का अस्त्र है सत्याग्रही को आत्मपीड़ा सहते हुए भी दूसरो को कष्ट न देने की सलाह दी जाती है। गांधी यह भी स्पष्ट करते है कि हिंसा द्वारा परिवर्तन अस्थायी होता है अत: मेरा विश्वास हद्य परिवर्तन कराने में है जो अहिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
- यदि हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना है तो में हिंसा को चुनूगा।
- में नहीं चाहता कि मात्र अंग्रेज भारत से वाहर जाये मेरा उद्देश्य अंग्रेजीयत को वाहर करना है क्योंकि भारत अंग्रेजों के पैरो तले नहीं बल्कि अंग्रेजी सभ्यता के पैरो तली कुचला जा रहा है।
- मेरे अनुसार उन्नित के लिए पश्चिमी सम्पर्कों की मनाही नहीं होनी चाहिए। हमारी खिड़कियों अवश्य खुली हो जिससे ताजी हवा आ सके किन्तु दरवाजे बन्द हो कि हवा इतनी तेज न आ जाए कि हमारे पांय उखाड़ जाए।
- गांधी की रणनीति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी और महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था। समाज सुधार के लिए वे नारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे और शिक्षा प्रसार में महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण कढ़ी मानते है।
- गांधी जन आधारित राजनीति में विश्वास करते थे उनके अनुसार जिस दिन समग्र जनता स्वावलम्लन का अर्थ जान जायेगी उसे उसकी स्वतंत्रता स्वयम मिल जायेगी। गांधी ने सभी भारतीयों से चरण चलाने की अपील की तो उनका मानना था कि भारत की गरीबी तो दूर नहीं होगी परन्तु भारतीयों में स्वावलम्वन की भावना अवश्य आ जायेगी।